संख्या–1216(4)/60–1–14–1/3(15)/14

प्रेषक,

नन्द लाल प्रसाद,
उप सचिव,
उ0प्र0 शासन।

सेवा में,

निदेशक
महिला कल्याण,
उ0प्र0 लखनऊ।

महिला एवं बाल विकास अनुभाग–1 लखनऊः: दिनांक 03 जुलाई, 2014

विषयः– अनुदान संख्या–49 के अर्न्तगत वित्तीय वर्ष 2014–15 के लेखा अनुदान में आयोजनागत पक्ष में प्राविधानित बजट के सापेक्ष धनराशि की स्वीकृति।

महोदय,

उपरोक्त विषयक निदेशालय के पत्र संख्या–399/निदे0म0क0/प्रोबे0–वि0स्वी0/ 2014–15, दिनांक 03.06.2014 तथा वित्त (आय–व्ययक) अनभाग–1 के कार्यालय–ज्ञाप संख्या–बी–1–795/दस–2014–231/2014, दिनांक 14.03.2014 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें।

2. इस संबंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 के लिए अनुदान संख्या–49 के आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि के सापेक्ष निम्नानुसार रू0 1300 हजार (रू0 तेरह लाख मात्र) व्यय किये जाने हेतु आपके निर्वतन पर रखे जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं :–

शीर्षक	मानक मदें	बजट साहित्य में प्रदर्शित धनराशि	लेखानुदान अवधि के लिए स्वीकृत धनराशि (रूपये हजार में)
1	2	3	4
2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण	07– मानदेय	2000	500
02–समाज कल्याण–आयोजनागत	17– किराया उपशुल्क और कर एवं स्वामित्व	3500	800
102–बाल कल्याण 01–केन्दीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित			
योजनाए–0122– किशोर न्याय बोर्ड की			
स्थापना (के. 35/रा. 65–के.+रा.)			
	योग	**5500**	**1300**

3– उक्त स्वीकृत धनराशि का प्रदेशन इस शर्त के साथ किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2014–15 की अवधि में जो व्यय किया जाय वह उपलब्ध धनराशि के अन्दर रहे। प्रदिष्ट धनराशि से किसी भी नई मद में व्यय नहीं किया जायेगा।

4– उपरोक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय शासन द्वारा निर्धारित नियमों/आदेशों के अनुसार एवं समय–समय पर जारी मितव्ययिता संबंधी आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए किया जायेगा।

.....2

5– यह स्पष्ट किया जाता है कि धनराशि का आवंटन (एलाटमेन्ट) मात्र किसी प्रकार के व्यय करने का प्राधिकार नहीं देता है, जिन मामलों में उ0प्र0, बजट मैनुअल और वित्तीय नियम संग्रहों तथा स्थायी आदेशों के अन्तर्गत राज्य सरकार/केन्द्र सरकार अथवा अन्य सक्षम प्राधिकारी की स्वीकृति प्राप्त की जानी आवश्यक हो, उन मामलों में व्यय करने के पूर्व ऐसी स्वीकृति अवश्य प्राप्त कर ली जाए।

6– उक्त स्वीकृत धनराशि को आहरण एवं वितरण अधिकारी द्वारा कोषागार से धनराशि का आहरण, तत्काल आवश्यकता होने पर ही किया जाए।

7– विभिन्न अनुदानों के अन्तर्गत बजट में प्राविधानित धनराशि का आवंटन एवं आवंटित/वितरित धनराशि के समक्ष किये गये नियंत्रण के सम्बन्ध में शासनादेश सं0–बी–1–1195/दस/16/94, दिनांक 06 जून, 1994 द्वारा निर्गत निर्देशों का पालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जाए।

8– उपरोक्त के संबंध में होने वाला व्यय वित्तीय वर्ष 2014–15 के लेखा अनुदान के अनुदान संख्या–49 के आयोजनागत पक्ष में मुख्य लेखा शीर्षक–2235–सामाजिक सुरक्षा तथा कल्याण–02–समाज कल्याण–आयोजनागत–102–बाल कल्याण 01–केन्दीय आयोजनागत /केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनाए–0122–**किशोर न्याय बोर्ड की स्थापना** (के 35/रा 65–के.+रा.) के अन्तर्गत सुसंगत प्राथमिक इकाईयों के नामें डाला जायेगा।

9– यह धनराशि अविलम्ब मुख्यालय/जनपद स्तरीय अधिकारियों के निर्वतन पर वर्ष 2014–15 के व्यय/आहरण हेतु आवंटित कर दिया जाय।

10– यह आदेश वित्त विभाग के कार्यालय–ज्ञाप सं0–बी0–1–795/दस–2014–231 /2014, दिनांक 14 मार्च, 2014 में दिये गये निर्देशों के कम में जारी किये जा रहे है।

संलग्नकः यथोपरि।

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।

संख्या–1216(5)/60–1–14, तद्दिनांक

प्रतिलिपि– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1– महालेखाकार उत्तर प्रदेश इलाहाबाद।
2– निदेशक स्थानीय निकाय,निधि लेखा,उ0प्र0 सिविल लाइन्स इलाहाबाद।
3– मुख्य वित्त एवं लेखाधिकारी, निदेशालय महिला कल्याण, उ0 प्र0 लखनऊ।
4– समस्त मुख्य/वरिष्ठ कोषाधिकारी ,उत्तर प्रदेश।
5– मुख्य कोषाधिकारी जवाहर भवन लखनऊ।
6– वित्त (व्यय–नियंत्रण) अनुभाग–3
7– राज्य योजना आयोग अनुभाग–2
8– गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(नन्द लाल प्रसाद)
उप सचिव।